631

[2019] 12 एस. सी. आर 631

ए.

चंदन दास (मालाकार) बनाम।

पश्चिम बंगाल और ओआरएस का राज्य। (2007 का सिविल अपील सं. 2858 आदि)सितंबर 25,2019

बी.

[आर**.** एफ**.** नरीमन**,** आर**.** सुभाष रेड्डी और सूर्या कान्ट**,** जे**.** जे**.]**

सेवा कानूनः

सी.

शिक्षकों की नियुक्ति-अल्पसंख्यक संस्थानों में-स्कूलों के जिला निरीक्षक द्वारा इस आधार पर अनुमोदित नहीं है कि यह स्कूल सेवा आयोग द्वारा अनिवार्य यू/आर की सिफारिश के बिना थी।28 1969 के नियम-लिखित याचिका-उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि संस्थान एक भाषाई अल्पसंख्यक संस्थान होने के नाते अपने शिक्षकों की नियुक्ति के लिए संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत हकदार है-उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि चूंकि संस्थान मान्यता प्राप्त सहायता प्राप्त संस्थान था, इसलिए प्रबंधन आर के जनादेश का पालन करने के लिए बाध्य था।28 उच्चतम न्यायालय में अपील-उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के बीच राय का अंतर (एक उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश की राय से सहमत है जबकि दूसरा उच्च न्यायालय की खंड पीठ से सहमत है)-वृहद पीठ को संदर्भित मामला-आयोजितःमामले के तथ्यों में, यह बताया गया है कि संस्था एक भाषाई अल्पसंख्यक संस्था है-इसलिए,आर. 28 लागू नहीं होगा क्योंकि इसके परिणामस्वरूप संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत संस्थान के अपनी पसंद के शिक्षकों के साथ संस्थान का प्रशासन करने के अधिकार का गंभीर उल्लंघन होगा-मान्यता प्राप्त गैर-सरकारी संस्थानों का प्रबंधन (सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त) नियम, 1969 -आर. 28-पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 1963-भारत का संविधान-अनुच्छेद 30।

डी.

ई.

एफ.

भारत का संविधानः

जी.

अनुच्छेद 30-भाषाई अल्पसंख्यक स्थिति का निर्धारण -जहाँ राज्य के कानून के लिए चुनौती है, वहाँ भाषाई अल्पसंख्यक का दर्जा राज्यवार निर्धारित किया जाना चाहिए।

अनुच्छेद 30-भाषाई अल्पसंख्यक स्थिति-मानदंड का निर्धारण-आयोजितःशिक्षा के माध्यम (भाषा) का पालन किया जाता है

एच.

631 ए.

632 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2019] 12 एस. सी. आर.

यह पता लगाना अप्रासंगिक होगा कि क्या विचाराधीन संस्थान की स्थापना एक भाषाई अल्पसंख्यक द्वारा अपने समुदाय के सदस्यों को शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। अनुच्छेद 350 बी-विशेष अधिकारी की रिपोर्ट-भाषाई अल्पसंख्यक संस्थान के संबंध में-अनुपस्थिति-संस्थान के अल्पसंख्यक दर्जे पर प्रभाव-आयोजितःविशेष अधिकारी की रिपोर्ट की अनुपस्थिति से यह निष्कर्ष नहीं निकलेगा कि कोई भी भाषाई अल्पसंख्यक संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के तहत संरक्षण का दावा नहीं कर सकता है।

बी.

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः**1.** मान्यता प्राप्त गैर-सरकारी संस्थानों (सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त) के प्रबंधन नियम, **1969,** जैसा कि वे **2008** के संशोधन से पहले थे, के अवलोकन से पता चलेगा कि यदि संविधान के अनुच्छेद **30** के प्रावधान लागू होते हैं, तो ऐसे संस्थानों या संस्थानों के वर्ग की प्रबंधन समिति या समितियों की संरचना, शक्तियों, कार्यों के लिए आगे या अन्य नियम बनाए जाएंगे।यह स्वीकार किया जाता है कि नियम **33** के तहत ऐसा कोई नियम नहीं बनाया गया है।**[**पैरा **12] [646-**सी-डी**]**

सी.

डी.

2. 19 अप्रैल, **1976** के एक पत्र द्वारा, प्रत्यर्थी संख्या **4** संस्थान ने सचिव, पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को पत्र लिखकर कहा कि इसे अल्पसंख्यक सामुदायिक संस्थान के रूप में घोषित किया जा सकता है और उसी आधार पर इसके लिए विशेष संविधान को मंजूरी दी जा सकती है।पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव की ओर से **7** मई, **1982** को प्रत्यर्थी संख्या **4** को लिखे एक पत्र के माध्यम से स्कूल की प्रबंधन समिति का एक विशेष गठन किया गया था।इस दस्तावेज़ को पढ़ने पर यह स्पष्ट है कि जहां नियमों के नियम **6** में सिख समुदाय के केवल एक प्रतिनिधि को प्रबंधन बोर्ड में होने की आवश्यकता

है, वहीं तीन प्रतिनिधि नियुक्त किए जाते हैं।समान रूप से, जबकि नियम **6** में छह संरक्षक प्रतिनिधियों के निर्वाचित होने की आवश्यकता है, केवल चार का प्रावधान किया गया है।इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता है कि इस पत्र की स्वीकृति से, प्रत्यर्थी संख्या **4** ने किसी भी तरह से, अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में माने जाने के अपने अधिकार को स्पष्ट रूप से माफ कर दिया है।इसके विपरीत, **19** अप्रैल, **1976** का आवेदन इसे एक अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में मान्यता देने के लिए था, और केवल इसलिए कि नियमों के नियम **8 (3)** को कथित रूप से लागू किया गया था, इसका मतलब यह नहीं है कि ए के लिए विशेष संविधान तैयार करते समय संस्थान के अल्पसंख्यक चरित्र को ध्यान में नहीं रखा गया था।

ई.

एफ.

जी.

एच.

633

चन्दना दास (मालाकार) बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और ओ. आर. एस.

विद्यालय का भविष्य का प्रबंधन।तथ्यों पर, इसलिए, यह समझना मुश्किल है कि कैसे प्रत्यर्थी संख्या **4** ने पश्चिम बंगाल राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक, अर्थात् सिखों द्वारा स्थापित भाषाई अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में माने जाने के अपने अधिकार को माफ कर दिया है। **[**पारस **13** और **15] [646-**ई**; 647-**डी-एच**; 648-**ए-सी**]3.** यदि प्रत्यर्थी संख्या **4** एक अल्पसंख्यक संस्थान है, तो मान्यता प्राप्त गैर-सरकारी संस्थानों के प्रबंधन **(**सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त**)** नियम, **1969** का नियम **28** संभवतः लागू नहीं हो सकता है क्योंकि प्रत्यर्थी संख्या **4** के अपनी पसंद के शिक्षकों के साथ संस्थान का प्रशासन करने के अधिकार का गंभीर उल्लंघन होगा।**[**पैरा **23] [655-**बी-सी**]**

बी.

सी.

केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य **(1973) 4** एससीसी

225 :[1973] 0 पूरक।एस. सी. आर. 1; अहमदाबाद सेंट.

जेवियर कॉलेज सोसायटी बनाम गुजरात राज्य **[1975] 1** एस**.** सी**.** आर**. 173;** टी**.** एम**.** ए**.** पाई फाउंडेशन बनाम स्टेट ऑफ

कर्नाटक **(2002) 8** एस**.** सी**.** सी**. 481-**अनुसरण

डी.

4. पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अधिनियम**, 1963** द्वारा स्थापित सक्षम अधिकारी अल्पसंख्यक संस्थान को मान्यता देने की कोई शक्ति नहीं देते हैं।प्रत्यर्थी संख्या **4** को कोलकाता में रहने वाले सिख समुदाय द्वारा पंजाब से आए अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए एक प्राथमिक विद्यालय के रूप में शुरू किया गया था**,** ताकि वे अपनी मातृभाषा और धर्म**,** नैतिकता आदि सीख सकें। **[**पैरा **24] [655-**डी-ई**]**

ई.

एन**.** अम्माद बनाम एमजय हाई स्कूल **(1998) 6** एस**.** सी**.** सी**. 674:**

[1998] 1 पूरक।एस. सी. आर. 453; निगमित शैक्षिक एजेंसी बनाम जेम्स मैथ्यू (2017) 15 एस. सी. सी. 595:[2017] 6 एस. सी. आर. 498-निर्भर।

एफ.

5. यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रत्यर्थी संख्या **4,** किसी भी तरह से**,** वर्तमान मामले के तथ्यों पर अपने अल्पसंख्यक दर्जे का दावा करने से वंचित है।इसके अलावा**,** यह स्थापित विधि है कि अनुच्छेद **30** के तहत मौलिक अधिकार को माफ नहीं किया जा सकता है।**[**पैरा **26] [657-**जी**]**

जी.

ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम **(1985)**

3 एससीसी **545:[1985] 2** पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 51-**अनुसरण किया गया।

के**.** एस**.** पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ **(2017) 10** एससीसी **1:**

[2017] 10 एससीआर **569-**पर निर्भर।

एच.

ए.

6. संविधान का अनुच्छेद **350** बी केवल भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी की स्थापना करता है**,** जिसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है**,** जिसका कर्तव्य भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित मामलों की जांच करना और भारत के राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजना है**,** जो रिपोर्ट करता है कि राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखेगा**,** और संबंधित राज्यों की सरकारों को भेजेगा।यहां तक कि इस अनुच्छेद को सरसरी रूप से पढ़ने से भी संभवतः यह निष्कर्ष नहीं निकल सकता है कि

विशेष अधिकारी की रिपोर्ट के अभाव में कोई भी भाषाई अल्पसंख्यक संविधान के अनुच्छेद **30 (1)** के तहत संरक्षण का दावा नहीं कर सकता है।**[**पैरा **29] [659-**सी**]**

बी.

सी.

7. जहाँ राज्य के कानून के लिए चुनौती है**,** वहाँ भाषाई अल्पसंख्यक स्थिति को राज्यवार निर्धारित करना होगा।इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि पश्चिम बंगाल राज्य में सिख अपनी भाषा पंजाबी की तुलना में भाषाई रूप से अल्पसंख्यक हैं**,** जबकि राज्य की बहुसंख्यक भाषा बंगाली है।राज्य की ओर से यह तर्क कि स्कूल वास्तव में हिंदी माध्यम से पढ़ाया जा रहा है**,** न तो यहाँ है और न ही वहाँ।महत्वपूर्ण बात यह है कि अनुच्छेद **30** के तहत मौलिक अधिकार एक भाषाई अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में स्कूल की **"**स्थापना**"** को संदर्भित करता है जो **19** अप्रैल**, 1976** के पत्र के पैराग्राफ **5 (**ए**)** और **5 (**बी**)** से बहुत स्पष्ट है।इसलिए**,** शिक्षा का माध्यम**,** चाहे वह हिंदी**,** अंग्रेजी**,** बंगाली या कोई अन्य भाषा हो**,** यह पता लगाना पूरी तरह से अप्रासंगिक होगा कि क्या उक्त विद्यालय की स्थापना एक भाषाई अल्पसंख्यक द्वारा अपने समुदाय के सदस्यों को शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी।**[**पारस **30** और **31] [659-**डी**-**एच**]**

डी.

ई.

एफ.

डी**.** ए**.** वी**.** कॉलेज बनाम पंजाब राज्य **[1971]** सप**.**एससीआर **688;** टी**.** एम**.** ए**.** पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य

(2002) 8 एस**.** सी**.** सी**. 481-**अनुसरण किया गया।

शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति बनाम शैल

मित्तल एसएलपी (सी) No.2755/2008-विशिष्ट।

जी.

चंदन दास (मालाकार) बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2015) 12 एस. सी. सी. 140:बाल पाटिल बनाम भारत संघ (2005)

6 एससीसी 690:[2005] 2 पूरक।एससीआर 459; ब्रह्मो

समाज एजुकेशन सोसाइटी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य

(2004) 6 एससी **224:[2004] 2** पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 214-**संदर्भित।

एच.

635

चंदन दास (मालाकार) बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और ओ. आर. एस.

ए.

मामला कानून संदर्भ

(2015) 12 एससीसी **140**

संदर्भित किया गया है

पैरा **1**

एसएलपी **(**सी**)** सं**. 2755/2008**

संदर्भित किया गया है

पैरा **8**

[1973] पूरक।एससीआर **1**

पीछा किया।

पैरा **17**

बी.

(1975) 1 एससीआर **173**

पीछा किया।

पैरा **18**

पीछा किया।

पैरा **19**

(2002) 8 एस**.** सी**.** सी**. 481**

[1998] 1 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 453** पैरा **25 [2017] 6** एस**.** सी**.** आर**. 498** पर निर्भर था

उस पर भरोसा करें

पैरा **25**

सी.

[1985] 2 पूरक।एससीआर **51**

पीछा किया।

पैरा **26**

[2017] 10 एससीआर **569**

उस पर भरोसा करें

पैरा **26**

[1971] सप**.**एससीआर **688**

पीछा किया।

पैरा **30**

[2005] 2 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 459** पैरा **33 [2004] 2** सप्लीमेंट को संदर्भित करता है।एस**.** सी**.** आर**. 214** विशिष्ट पैरा **33**

डी.

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय:2007 की सिविल अपील सं. 2858।

2004 के सी. ए. एन. सं. 3863 में कलकत्ता में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश से।

ई.

के साथ

2007 की सिविल अपील सं. 2859।

सिद्धार्थ भटनागर, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री सोनिया दुबे, एस. चक्रवर्ती, सुश्री कंचन यादव, अनुराग सिंह, सुश्री हर्षिता वर्मा, सुश्री सुरभी आनंद, आदित्य सिधरा, मैसर्स लीगल ऑप्शंस, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।सौम्या चक्रवर्ती, राणा मुखर्जी, वरिष्ठ अधिवक्ता।सुहान मुखर्जी, सुश्री आस्था शर्मा, सुश्री काजल दलाल, अमित वर्मा, मेसर्स पी. एल. आर. चैम्बर्स एंड कंपनी, सुश्री डेज़ी हन्ना, सुश्री श्रेओशी चटर्जी, सुश्री कनिका शर्मा, शेखर कुमार, अधिवक्ता।प्रत्यर्थीगणओं के लिए।न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एफ.

जी.

आर. एफ. नरीमन, जे.

1. टी. एस. ठाकुर, जे. और आर. भानुमति, जे., के बीच असहमति को देखते हुए इन अपीलों को तीन न्यायाधीशों की पीठ को भेजा गया है।

एच.

636 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2019] 12 एस. सी. आर.

ए.

चंदना दास (मालाकार) बनाम पश्चिम बंगाल राज्य

(2015) 12 एससीसी 140।इन अपीलों पर निर्णय लेने के लिए जो तथ्य आवश्यक हैं, वे ठाकुर, जे. द्वारा अपने निर्णय में इस प्रकार दिए गए हैं:"2. ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थीगण को खालसा गर्ल्स हाई स्कूल, पदपुकुर रोड, भवानीपुर, कलकत्ता में अस्थायी आधार पर शिक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया था।हालाँकि, उनकी नियुक्ति स्कूलों के जिला निरीक्षक, कलकत्ता की मंजूरी को पूरा नहीं करती थी, जिनके अनुसार ऐसी कोई नियुक्ति केवल मान्यता प्राप्त गैर-सरकारी संस्थानों (सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त), 1969 (इसके बाद "नियमों" के रूप में संदर्भित) के प्रबंधन के नियमों के तहत साबित स्कूल सेवा आयोग की सिफारिशों पर की जा सकती थी।

बी.

सी.

3. जिला निरीक्षक द्वारा पारित आदेश से व्यथित होकर, अपीलार्थीगण ने 2003 की रिट याचिका संख्या 16256 और 16255 में कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसे उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा उनके दिनांक 1 के आदेश द्वारा अनुमति दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि जिस संस्थान में अपीलार्थीगण को एक भाषाई अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में नियुक्त किया गया था, वह अपने शिक्षकों का चयन और नियुक्ति करने का हकदार था।एकल पीठ ने तदनुसार रिट याचिकाओं में प्रत्यर्थीगण को निर्देश दिया कि वे 28-7-1999 से अपीलार्थीगण की पूर्णकालिक शिक्षकों के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दें और उक्त तिथि से उनके पक्ष में वेतन और अन्य सेवा लाभों के बकाया को जारी करें।

डी.

ई.

4. विद्वान एकल न्यायाधीश, पश्चिम बंगाल राज्य के निर्णय और आदेश से व्यथित होकर, विद्यालय शिक्षा निदेशक और विद्यालयों के जिला निरीक्षक ने एकल पीठ द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध 2004 के सी. ए. एन. संख्या 3861 और 3863 को प्राथमिकता दी, जिसकी

अपीलों को उस न्यायालय की एक खंड पीठ द्वारा दिनांक 23-9-2004 [राज्य डब्ल्यू. बी. बनाम.सुखबिंदर कौर, 2004 एस. सी. सी. ऑनलाइन कैल 570:(2005) 3 सीएचएन 604]। उच्च न्यायालय ने कहा कि चूंकि जिस संस्थान में अपीलार्थीगण की नियुक्ति की गई थी, वह एक मान्यता प्राप्त सहायता प्राप्त संस्थान था, इसलिए संस्थान का प्रबंधन उपरोक्त नियमों के नियम 28 के आदेश का पालन करने के लिए बाध्य था, जो एक स्थायी पद के खिलाफ नियुक्तियों की अनुमति केवल तभी देता है जब उम्मीदवार की स्कूल सेवा आयोग द्वारा ऐसी किसी भी नियुक्ति के लिए सिफारिश की गई हो।

एफ.

जी.

एच.

637

चंदन दास (मालाकार) बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और ओ. आर. एस. [आर. एफ. नरीमन, जे.] ए.

ए.

5. डिवीजन बेंच ने आगे कहा कि अपीलार्थीगण को प्रासंगिक समय पर स्वीकृत कर्मचारियों की संख्या से परे नियुक्त किया गया है और नियमों का उल्लंघन करने के कारण वे अपने पक्ष में किसी भी अनुमोदन का दावा नहीं कर सकते हैं।अदालत ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार के स्कूल शिक्षा निदेशक द्वारा जारी निर्देशों में निदेशक की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी नियुक्ति की अनुमति नहीं दी गई है।इस मामले में निदेशक से ऐसी कोई अनुमति नहीं ली गई थी।इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि खंड पीठ ने कहा कि चूंकि संस्थान ने अपने अल्पसंख्यक संस्थान होने का कोई दावा नहीं किया है, इसलिए कर्मचारी रिट याचिकाकर्ताओं के लिए अपनी ओर से इस तरह के किसी भी दर्जे का दावा करने का अधिकार नहीं है।डिवीजन बेंच ने आगे यह विचार रखा कि एक बार जब कोई अल्पसंख्यक समुदाय उक्त नियमों के नियम 8 के उप-नियम (3) के तहत एक विशेष संविधान के लिए आवेदन करता है तो वह राज्य सरकार को बताता है कि वह अल्पसंख्यक संस्थान के दर्जे का दावा नहीं कर रहा था।इसलिए एकल पीठ ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की थी कि जिस संस्थान में अपीलार्थीगण काम करते थे, वह एक अल्पसंख्यक संस्थान था या ऐसी संस्था द्वारा की गई नियुक्ति को ऊपर उल्लिखित नियमों के नियम 28 द्वारा विनियमित नहीं किया जाएगा।वर्तमान अपील, जैसा कि ऊपर देखा गया है, उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा लिए गए दृष्टिकोण की शुद्धता पर सवाल उठाती है।

बी.

सी.

डी.

6. निर्णय के लिए जो छोटा सवाल आता है वह यह है कि क्या खालसा गर्ल्स हाई स्कूल, पोड्डापुकुर रोड, कलकत्ता एक अल्पसंख्यक संस्थान है, यदि ऐसा है, तो क्या संस्थान का शिक्षकों के चयन और नियुक्ति का अधिकार किसी भी तरह से पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 1963 के प्रावधानों के तहत बनाए गए मान्यता प्राप्त गैर-सरकारी संस्थानों (सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त), 1969 के प्रबंधन नियमों के प्रावधानों से प्रभावित है?

ई.

एफ.

XXX XXX XXX

8. दूसरी ओर, संस्थान का मामला यह है कि यह अपनी स्थापना से ही एक भाषाई अल्पसंख्यक संस्थान था और बना हुआ है।संस्थान की ओर से दायर हलफनामे में कलकत्ता और पश्चिम बंगाल के अन्य हिस्सों में बसे पंजाबी भाषी सिखों के लाभ के लिए संस्थान की स्थापना के पीछे के इतिहास का पता लगाया गया है।हलफनामे में कहा गया है कि 19-4-1976 पर संस्थान द्वारा सचिव, पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को अनुमोदन के लिए एक विस्तृत ज्ञापन भेजा गया था

जी.

एच.

ऊपर उल्लिखित नियमों के नियम 33 के संदर्भ में विद्यालय के लिए विशेष संविधान।वह प्रार्थना संस्थान के अनुसार केवल इसलिए की गई थी क्योंकि स्कूल एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान था।हलफनामा पश्चिम बंगाल अल्पसंख्यक आयोग द्वारा अपने दिनांकित 6-10-1989 आदेश के संदर्भ में स्कूल के अल्पसंख्यक दर्जे की मान्यता पर भी निर्भर करता है।हलफनामे में कहा गया है कि संस्थान का अल्पसंख्यक दर्जा राज्य द्वारा स्वीकृत अनुदान के बावजूद जारी है, जिसमें ऐसी शर्तें नहीं हो सकती हैं जो अल्पसंख्यकों के अपने स्वयं के संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के अधिकार को हराने या कमजोर करने का प्रभाव डालती हैं।यह भी तर्क दिया गया कि नियमों के नियम 33 में राज्य सरकार के पक्ष में कुछ संस्थानों के लिए आगे के नियम बनाने की शक्ति सुरक्षित है, जिन पर संविधान के अनुच्छेद 26 और 30 के प्रावधान लागू होते हैं।अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा बनाए गए ऐसे कोई भी

नियम अपने पक्ष में स्वीकृत विशेष संविधान के अनुसार अपनी संस्था की स्थापना और संचालन नहीं कर सकते हैं।अतः अल्पसंख्यक संस्थानों में शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित नियमों का नियम 28 वर्तमान मामले में लागू नहीं होता है।"2. न्यायाधीश ठाकुर द्वारा निर्णय के अनुच्छेद 6 में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा गया थाः

बी.

सी.

डी.

"21. इस विषय पर निर्णयों को गुणा करना अनावश्यक है क्योंकि कानूनी स्थिति अच्छी तरह से तय की गई है।भाषाई संस्थान और धार्मिक अपने संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के हकदार हैं।प्रशासन के ऐसे अधिकार में अपनी पसंद के शिक्षकों की नियुक्ति का अधिकार शामिल है, लेकिन यह राज्य को ऐसे नियम बनाने की अपनी शक्ति से वंचित नहीं करता है जो ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पात्रता की शर्तों को निर्धारित कर सकते हैं।विनियम यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय भी निर्धारित कर सकते हैं कि संस्थान को कुशलता से चलाया जाए क्योंकि प्रशासन के अधिकार में कुप्रशासन का अधिकार शामिल नहीं है।जबकि भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपने शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और संचालन के लिए संविधान में निहित गारंटी में सहायता अनुदान शामिल नहीं है, ऐसे अनुदान को केवल इसलिए अस्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि संस्थान भाषाई या धार्मिक अल्पसंख्यकों द्वारा साबित किए गए हैं।हालाँकि, सहायता के अनुदान को उन शर्तों के अधीन नहीं बनाया जा सकता है जो संस्था को ऐसे संस्थानों को प्रशासित करने के उनके मूल अधिकार से वंचित करती हैं।यह कहने के लिए पर्याप्त है कि एक बार प्रत्यर्थी 4 संस्थान को ए के संरक्षण का हकदार एक अल्पसंख्यक संस्थान माना जाता है।

ई.

एफ.

जी.

एच.

639

चंदना दास (मालाकार) बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और ओ. आर. एस. [आर. एफ. नरीमन, जे.] ए.

भारत के संविधान के अनुच्छेद 26 और 30 में अपनी पसंद के शिक्षकों को नियुक्त करने का अधिकार, जो प्रासंगिक नियमों के तहत ऐसी नियुक्तियों के लिए निर्धारित पात्रता की शर्तों को पूरा करते हैं, ऐसे संस्थानों को प्रशासित करने के उनके अधिकारों में निहित है।इस तरह

के अधिकारों को राज्य या उसके अधिकारियों द्वारा इस बात पर जोर देकर कमजोर नहीं किया जा सकता है कि नियुक्ति केवल निदेशक की मंजूरी से या उन संस्थानों के लिए आम तौर पर निर्धारित तंत्र का पालन करके की जानी चाहिए जो अल्पसंख्यक दर्जे का आनंद नहीं लेते हैं।

बी.

22. उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा यह विचार कि अपीलार्थीगण की नियुक्तियां नियमों का उल्लंघन करती हैं, क्योंकि वे स्कूल सेवा आयोग द्वारा नहीं की गई थीं, इसलिए अनुमोदन के लिए योग्य नहीं थीं, हमें सही नहीं लगता है।नियम 28 के तहत नियुक्तियां करने के लिए प्रदान किया गया तंत्र अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों पर लागू नहीं होता है।

सी.

XXX XXX XXX

डी.

24. पहले निकाले गए नियमों के नियम 33 के साथ, यह स्वयं स्पष्ट है कि नियम 28 आम तौर पर अन्य संस्थानों पर लागू होता है; नियम 33 संविधान के अनुच्छेद 26 या 30 द्वारा कवर किए गए अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों पर लागू होने में अधिक विशिष्ट है।ऐसे अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के लिए बनाए गए किसी भी नियम के अभाव में वर्तमान मामले में अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान अपने शिक्षकों का चयन और नियुक्ति करने का हकदार था, जब तक कि ऐसी नियुक्तियों के लिए अन्य शर्तें, अर्थात्, पर्याप्त रिक्तियों की उपलब्धता और ऐसी नियुक्तियों के लिए उम्मीदवारों की पात्रता विधिवत संतुष्ट थी।

ई.

एफ.

25. तत्काल मामले में, यह विवादित नहीं है कि अपीलार्थीगण दोनों संबंधित विषय में शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए विधिवत योग्य थे।यह भी विवाद में नहीं है कि वे काफी समय से अल्प वेतन पर सेवा कर रहे हैं, जो संस्थान उन्हें राज्य सरकार द्वारा नियुक्तियों को मान्यता देने और उनके पदों के लिए अनुदान जारी करने के अभाव में दे रहा है।

जी.

26. इस तरह की नियुक्तियों की मंजूरी के मामले में संभवतः जो एकमात्र अन्य सवाल उठ सकता था, वह यह था कि नियुक्तियों की तारीख को किसी स्वीकृत पद की अनुपस्थिति थी। अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि

एच.

बाद में रिक्तियां उत्पन्न हुई थीं जिनके खिलाफ अपीलार्थीगण की नियुक्तियों को मंजूरी दी जा सकती थी और ऐसी रिक्तियों के उपलब्ध होने की तारीख से उन्हें देय वेतन जारी किया जा सकता था।यदि ऐसा है, तो हम ऐसा कोई कारण नहीं देखते हैं कि अपीलार्थीगण की नियुक्तियों को ऐसी रिक्तियों के उपलब्ध होने की तारीख से मंजूरी क्यों नहीं दी जानी चाहिए, जिनके खिलाफ ऐसी नियुक्तियों को नियमित किया जा सकता है।उस हद तक अपीलार्थीगण द्वारा मांगी गई राहत को उपयुक्त रूप से ढाला जाएगा।"

बी.

3. जे. भानुमति ने इन निष्कर्षों से असहमत होकर एक अलग निर्णय दिया।उन्होंने कलकत्ता उच्च न्यायालय के खंड पीठ के फैसले से सहमति व्यक्त की, जिसने उस न्यायालय के एकल पीठ के फैसले को परेशान कर दिया था, और निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

सी.

"34. विवादित निर्णय [स्टेट ऑफ डब्ल्यू. बी. बनाम.सुखबिंदर कौर, 2004 एस. सी. सी. ऑनलाइन कैल 570:(2005) 3 कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंड पीठ का सी. एच. एन. 604] निम्नानुसार हैः(सुखबिंदर

कौर मामला [राज्य डब्ल्यू. बी. बनाम.सुखबिंदर कौर, 2004 एससीसी

डी.

ऑनलाइन कैल 570:(2005) 3 सीएचएन 604], एससीसी ऑनलाइन कैल पैरा 4)

"4. … इस मामले को ध्यान में रखते हुए, उक्त नियमों के नियम 8 के उप-नियम (3) के तहत अनुमत संविधान अल्पसंख्यक सामुदायिक संस्थानों के संबंध में नहीं हो सकता है। प्रबंधन नियमों में नियम 33 तैयार करके इसे पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया गया है जो विशेष रूप से अनुच्छेद 26 और 30 के संरक्षण के हकदार संस्थानों से संबंधित है।यह राज्य सरकार को ऐसे संस्थानों की प्रबंधन समिति के गठन के लिए विशेष नियम बनाने के लिए अधिकृत करता है।जिस क्षण कोई अल्पसंख्यक समुदाय उक्त नियमों के नियम 8 के उप-नियम (3) के तहत एक विशेष संविधान के लिए आवेदन करता है, वह राज्य सरकार को बताता है कि वह कम से कम उस समय अल्पसंख्यक समुदाय के दर्जे का दावा नहीं कर रहा है जब ऐसा आवेदन किया जाता है।"

ई.

एफ.

मेरे सुविचारित विचार में, कलकत्ता उच्च न्यायालय के उपरोक्त तर्क की पुष्टि मेरे द्वारा यहां बताए गए कारणों से की जानी चाहिए।"4. असहमति के दो मुख्य आधार थे।पैराग्राफ 36 से 40 में, विद्वान न्यायाधीश ने पाया कि पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 4 स्कूल को अल्पसंख्यक का दर्जा देने वाले किसी भी आदेश के अभाव में, ए

जी.

एच.

641

चंदन दास (मालाकार) बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और ओ. आर. एस. [आर. एफ. नरीमन, जे.] ए.

उक्त विद्यालय अनुच्छेद 30 के प्रयोजन के लिए अल्पसंख्यक संस्थान होने का दावा नहीं कर सकता है और इसलिए, 1969 के नियमों, विशेष रूप से नियम 28 द्वारा एक सहायता प्राप्त संस्थान होने के नाते बाध्य है।निर्णय का दूसरा हिस्सा पैराग्राफ 43 और 51 में निहित था, जिसमें कहा गया था कि स्कूल ने नियमों के नियम 8 (3) के संदर्भ में विशेष संविधान को स्वीकार कर लिया है, स्कूल को यह तर्क देने से रोक दिया गया है कि यह एक अल्पसंख्यक संस्थान है जो नियमों के नियम 33 के तहत राज्य द्वारा बनाए जाने वाले विशेष नियमों द्वारा शासित है।

बी.

5. अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ भटनागर ने हमें उच्च न्यायालय के विवादित फैसले के साथ-साथ ठाकुर, जे. और भानुमति, जे. के फैसलों के बारे में बताया। उन्होंने खालसा गर्ल्स स्कूल के 19 अप्रैल, 1976 के अनुरोध के साथ नियमों के नियम 6,8 (3), 28 और 33 को भी पढ़ा, जिसमें कहा गया था कि इसका गठन पश्चिम बंगाल राज्य में सिख धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक की ओर से किया गया था और इसे अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा दिया गया था।इसके बाद उन्होंने पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 7 मई, 1982 के एक आदेश पर भरोसा किया, जिसमें स्कूल के भविष्य के प्रबंधन के लिए एक विशेष संविधान को मंजूरी देने के बावजूद, इस तथ्य को मान्यता देते हुए नियम 6 के विचलन में किया गया था कि यह एक अल्पसंख्यक संस्थान था।उन्होंने इस तथ्य को भी हमारे ध्यान में लाया कि 2008 से, नियम 32 (सी) को अब निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया गया हैः

सी.

डी.

“32. कुछ संस्थानों पर लागू नहीं होने वाले नियम-इसमें कुछ भी नहीं

ई.

ये नियम---------- पर लागू होंगे।

(ग) पश्चिम बंगाल अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1996 (1996 का पश्चिम बंगाल अधिनियम XVI) की धारा 2 के खंड (ग) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक द्वारा साबित और प्रशासित गैर-सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान;

एफ.

XXX XXX XXX

व्याख्याः- किसी भी संदेह को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि राज्य सरकार, खंड (सी) में निर्दिष्ट किसी भी गैर-सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान द्वारा किए गए आवेदन पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, पहुंच और समानता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, ऐसे संस्थान की समिति की संरचना, शक्तियों, कार्यों आदि के लिए उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत नियम बना सकती है।

जी.

नतीजतन, नियम 33 को हटा दिया गया है।

एच.

6. इसके बाद उन्होंने हमें पश्चिम बंगाल अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1996 की धारा 2 (सी) के माध्यम से बताया, जिसमें कहा गया हैः

“2. परिभाषाएँ-इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यकता न हो, -

XXX XXX XXX

बी.

(ग) इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए "अल्पसंख्यक" का अर्थ है मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध या पारसी जैसे धर्म पर आधारित समुदाय और इसमें शामिल हैं -

(i) ऐसे अन्य अल्पसंख्यक जिन्हें केंद्र सरकार राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2 के खंड (सी) के तहत अधिसूचित कर सकती है, या

सी.

((ख) भारत के संविधान के अनुच्छेद 29 (जिसे इसके बाद संविधान के रूप में संदर्भित किया गया है) के दायरे में आने वाली भाषा पर आधारित ऐसे अन्य अल्पसंख्यक जिन्हें राज्य सरकार समय-समय पर अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे।

डी.

तथ्यों पर, उन्होंने तर्क दिया कि यह कहना पूरी तरह से गलत था कि स्कूल के प्रबंधन ने अल्पसंख्यक संस्थान होने का अपना अधिकार छोड़ दिया था।उन्होंने कई फैसलों के आधार पर यह भी तर्क दिया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत मौलिक अधिकार को माफ नहीं किया जा सकता है।उन्होंने हमें विभिन्न निर्णयों के माध्यम से यह दिखाने के लिए भी कहा कि हालांकि प्रत्यर्थी संख्या 4 स्कूल एक सहायता प्राप्त संस्थान था, लेकिन शिक्षकों की नियम 28 के तहत नियुक्ति उस पर लागू नहीं होगी क्योंकि यह एक अल्पसंख्यक संस्थान है।उन्होंने यह दिखाने के लिए हमारे सामने दिए गए निर्णयों का भी हवाला दिया कि पहले सक्षम प्राधिकारी से यह घोषणा प्राप्त करना अनावश्यक था कि स्कूल एक अल्पसंख्यक संस्थान है क्योंकि ऐसी कोई भी घोषणा केवल पहले से मौजूद अधिकार की मान्यता होगी, अगर संस्थान वास्तव में अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के लिए स्थापित किया गया था।7. प्रत्यर्थी संख्या 4 विद्यालय की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राणा मुखर्जी ने श्री भटनागर की दलीलों को व्यापक रूप से दोहराया और हमें 19 अप्रैल, 1976 के पत्र के माध्यम से यह दिखाने के लिए भी कहा कि प्रत्यर्थी संख्या 4 विद्यालय को विशुद्ध रूप से पश्चिम बंगाल राज्य में एक भाषाई अल्पसंख्यक विद्यालय के रूप में स्थापित किया गया था।इसलिए, उन्होंने शिक्षकों की प्रार्थना का समर्थन किया कि उन्हें रिक्तियों के खिलाफ नियमित किया जाए जो तब से उत्पन्न हुई हैं।

ई.

एफ.

जी.

8. राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सौम्या चक्रवर्ती ने भानुमति, ए.

एच.

जे. और, इसके अलावा, तर्क दिया कि अनुच्छेद 350 बी यह स्पष्ट करेगा कि संस्थान को अनुच्छेद 30 के तहत मौलिक अधिकार का लाभ उठाने से पहले एक अल्पसंख्यक संस्थान घोषित किया जाना चाहिए।उन्होंने कहा कि किसी भी मामले में शिक्षा का माध्यम हिंदी है और इसलिए, राष्ट्रीय भाषा होने के कारण, संस्थान को अल्पसंख्यक समुदाय की जरूरतों को पूरा करने के लिए नहीं कहा जा सकता है।उन्होंने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इस मामले की एक खंड पीठ है, इस मामले को एक बड़ी पीठ को भेजने के लिए एक जोरदार याचिका भी दायर की।

बी.

अदालत ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति बनाम शैल मामले में

मित्तल एस. एल. पी. (सी) सं. 2755/2008 ने 18 नवंबर, 2010 के एक आदेश द्वारा इसी तरह के एक मामले को संविधान पीठ द्वारा अन्य मामलों के साथ सुनवाई के लिए भेजा।

सी.

9. इन अपीलों में उठाए गए प्रश्नों को शुरू करने से पहले, पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 1963 का विज्ञापन करना महत्वपूर्ण है।यह कहना पर्याप्त है कि यह अधिनियम पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और विभिन्न समितियों और क्षेत्रीय परीक्षा परिषदों की स्थापना करता है और फिर उनकी शक्तियों को निर्धारित करता है।यह कहने के लिए पर्याप्त है कि यह घोषणा करना बोर्ड या उसमें स्थापित किसी प्राधिकरण की शक्तियों और कर्तव्यों का हिस्सा नहीं है कि कोई विशेष संस्थान अल्पसंख्यक संस्थान है या नहीं है।

डी.

10. अब मान्यता प्राप्त गैर-सरकारी संस्थानों के प्रबंधन (सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त) नियम, 1969 के लिए विज्ञापन देना आवश्यक है।नियम 6 प्रासंगिक है और इसे नीचे इस प्रकार दिया गया हैः

ई.

"6. राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित संस्था के अलावा किसी अन्य संस्था की समिति की संरचनाः

समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगेः- ((i) नियम 6 ए में दिए गए तरीके से चुना जाने वाला एक संस्थापक;

एफ.

((ii) एक आजीवन सदस्य, यदि कोई हो, नियम 6 ए में निर्धारित तरीके से चुना या नामित किया जाएगा;

((ग) पश्चिम बंगाल उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद और/या एक्स-क्लास हाई स्कूल द्वारा मान्यता प्राप्त 11 वीं और 12 वीं कक्षा वाले संस्थानों के मामले में बालिका विद्यालय के मामले में छह अभिभावक जिनमें से दो महिलाएँ होंगी और जूनियर हाई स्कूलों के मामले में तीन अभिभावक, नियम 6 ए के उप-नियम (2) में निर्धारित तरीके से, निर्वाचित या नामित किए जाएंगे।

जी.

एच.

(iv) नियम 6 ए के उपनियम (3) के खंड (i) में निर्धारित तरीके से शिक्षा में रुचि रखने वाला एक व्यक्ति (सह-चुना जाने वाला); बशर्ते कि किसी पंचायत के अधिकार क्षेत्र में स्थित संस्थान के मामले में, शिक्षा में रुचि रखने वाला एक व्यक्ति स्थानीय पंचायत समिति का नामांकित व्यक्ति होगा।इस प्रकार नामित व्यक्ति उक्त पंचायत समिति के अधिकार क्षेत्र में आने वाले इलाके का निवासी होगा।

बी.

(v) पश्चिम बंगाल उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद और/या एक्स-क्लास हाई स्कूल द्वारा मान्यता प्राप्त उच्च माध्यमिक कक्षाओं (11 और 12) वाले संस्थान के मामले में एक संस्थान के प्रमुख और एक गैर-शिक्षण कर्मचारी को छोड़कर तीन शिक्षण कर्मचारी और एक जूनियर हाई स्कूल के मामले में शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों में से दो सदस्य, नियम 6 ए के उप-नियम (4) के खंड (i) में निर्धारित तरीके से चुने जाने के लिए;

सी.

डी.

((vii) समिति के एक सदस्य को निदेशक या उसके द्वारा इस संबंध में अधिकृत एक अधिकारी द्वारा नामित किया जाएगा; (vii) संस्थान का प्रमुख (पदेन)।

बशर्ते कि कोई भी व्यक्ति एक से अधिक श्रेणी का प्रतिनिधित्व करने का पात्र नहीं होगा।

ई.

नियम 8 (3) हमारे उद्देश्य के लिए महत्वपूर्ण है और निम्नानुसार कहता हैः

"8. कार्यकारी समिति की समिति को अनुमोदित करने और अधिनिर्णय करने, प्रशासक या तदर्थ समिति नियुक्त करने और विशेष संविधान प्रदान करने की शक्ति;

एफ.

XXX XXX XXX

(3) इन नियमों में कुछ भी निहित होने के बावजूद, कार्यकारी समिति को किसी भी संस्थान या संस्थानों के वर्ग के आवेदन पर, ऐसे संस्थान या संस्थानों के वर्ग के पक्ष में एक समिति के विशेष गठन को मंजूरी देने की शक्ति होगी और एक समिति के विशेष गठन को मंजूरी देने में, कार्यकारी समिति निदेशक की सिफारिशों, यदि कोई हो, को उचित सम्मान देगी।किसी संस्थान या संस्थान के किसी वर्ग के पक्ष में विशेष संविधान प्रदान करते समय, कार्यकारी समिति यह सुनिश्चित करेगी कि शिक्षण के सदस्यों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों, अभिभावकों का प्रतिनिधित्व

जी.

एच.

645

चंदन दास (मालाकार) बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और ओ. आर. एस. [आर. एफ. नरीमन, जे.] ए.

और निदेशक या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नामित सदस्य को नियम 6 के खंड (iii), खंड (v) और खंड (vi) के अनुसार बनाया जाता हैः

बशर्ते कि यदि कार्यकारी समिति की राय है कि विशेष संविधान का आनंद ले रहा कोई विद्यालय ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो कार्यकारी समिति, निदेशक की सिफारिशों को उचित रूप से ध्यान में रखते हुए, यदि कोई हो, किसी समिति के ऐसे विशेष गठन में संशोधन या वापसी कर सकती है और उस स्थिति में, कार्यकारी समिति, आदेश द्वारा, आदेश में निर्दिष्ट अवधि के लिए समिति की शक्तियों का प्रयोग करने और कार्यों को करने के लिए, एक प्रशासक या एक तदर्थ समिति नियुक्त कर सकती है।"

बी.

सी.

नियम 28 (1) (i), जिसे प्रत्यर्थी संख्या 4 पर लागू करने की मांग की गई है, निम्नानुसार कहता हैः

"28. समिति की शक्तियाँ-(1) किसी सहायता प्राप्त संस्थान में समिति को, किसी अनुदान सहायता योजना या वेतन संशोधन योजना या राज्य सरकार या निदेशक द्वारा उसके संबंध

में जारी किए गए किसी आदेश या निर्देश या दिशानिर्देश के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, यह शक्ति होगी -

डी.

ई.

(i) संबंधित क्षेत्र के संबंध में पश्चिम बंगाल क्षेत्रीय विद्यालय सेवा आयोग की सिफारिश पर, स्थायी या अस्थायी रिक्तियों के लिए स्थायी या अस्थायी आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति, यदि और जब उपलब्ध हो, शिक्षकों की स्वीकृत संख्या के भीतर और निदेशक या उनके द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी के अनुमोदन पर, इस संबंध में समिति के निर्णय की तारीख से एक पखवाड़े के भीतर ऐसी मंजूरी मांगी जा रही है।

एफ.

नियम 32 और 33 भी महत्वपूर्ण हैं और निम्नानुसार बताते हैंः

"32. कुछ संस्थानों पर लागू नहीं होने वाले नियम-इसमें कुछ भी नहीं

जी.

ये नियम राज्य सरकार, केंद्र सरकार या रेलवे बोर्ड द्वारा बनाए गए और प्रबंधित संस्थानों या सेंट थॉमस स्कूल अधिनियम, 1923 (1923 का बंगाल अधिनियम XII) के प्रावधानों के तहत प्रबंधित स्कूलों या किसी अन्य संस्थान पर लागू होंगे जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस संबंध में आदेश द्वारा निर्दिष्ट किया जाए।

एच.

33. राज्य सरकार की आगे के नियम बनाने की शक्ति

कुछ संस्थानों के लिए-इन नियमों में कुछ भी राज्य सरकार की किसी भी संस्थान या संस्थान के वर्ग को लागू करने की शक्ति को प्रभावित नहीं करेगा, जिसके लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 26 या अनुच्छेद 30 के प्रावधान लागू हो सकते हैं, ऐसे संस्थान या संस्थानों के वर्ग की प्रबंध समिति या समितियों की संरचना, शक्तियों, कार्यों के लिए आगे या अन्य नियम।"

बी.

11. इन नियमों को 29 अगस्त, 2008 की एक अधिसूचना द्वारा संशोधित किया गया है, जैसा कि यहाँ ऊपर देखा गया है।और नियम 33 को पूरी तरह से हटा दिया गया है।

सी.

12. नियमों के अवलोकन से, जैसा कि वे 2008 के संशोधन से पहले थे, यह पता चलेगा कि यदि संविधान के अनुच्छेद 30 के प्रावधान लागू होते हैं, तो ऐसे संस्थानों या संस्थानों के वर्ग की प्रबंध समिति या समितियों की संरचना, शक्तियों, कार्यों के लिए आगे या अन्य नियम बनाए जाएंगे।यह स्वीकार किया जाता है, जैसा कि न्यायमूर्ति ठाकुर के निर्णय में देखा गया है कि नियम 33 के तहत ऐसे कोई नियम नहीं बनाए गए हैं।

डी.

13. इस मोड़ पर, यह ध्यान दिया जा सकता है कि 19 अप्रैल, 1976 को एक पत्र द्वारा, प्रत्यर्थी संख्या 4 ने सचिव, पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को पत्र लिखकर कहा कि इसे अल्पसंख्यक सामुदायिक संस्थान के रूप में घोषित किया जा सकता है और इसके लिए विशेष संविधान को उसी आधार पर अनुमोदित किया जा सकता है।महत्वपूर्ण बात यह है कि उक्त पत्र के पैराग्राफ 5 (ए) और 5 (बी) में क्या कहा गया है, जो नीचे दिया गया हैः

ई.

"5. उक्त खालसा हाई स्कूल का संक्षिप्त इतिहास इस प्रकार हैः- (क) वर्ष 1932 में कलकत्ता में रहने वाले सिख समुदाय द्वारा खालसा प्राथमिक विद्यालय के रूप में इस संस्थान की शुरुआत पंजाब से आए अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए की गई थी, जहाँ उन्हें अपनी मातृभाषा सीखने के पर्याप्त अवसर मिले थे।पंजाबी और सुखदायक वातावरण में धार्मिक, नैतिक और नैतिक प्रशिक्षण प्रदान करना।

एफ.

जी.

(ख) इससे पहले वर्ष 1930 में स्वर्गीय संत मस्तान सिंह ने 573, पडडोपुकुर रोड, कलकत्ता में लगभग बीस बच्चों को गुरुमुख लिपि में पंजाबी सिखाने के लिए एक छोटी पाठशाला शुरू की थी।1932 में बाबा हरनाम सिंह कौंका को उस स्कूल का प्रभारी बनाया गया था जो लोकप्रिय हो रहा था।

एच.

647

चंदन दास (मालाकार) बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और ओ. आर. एस. [आर. एफ. नरीमन, जे.] ए.

सिख समुदाय के बीच दिन में।कुछ समय बाद उन्होंने 16, पदपुकुर रोड, कलकत्ता में एक नया स्कूल खोला।इस समय तक कलकत्ता में सिखों की आबादी बढ़ रही थी।बड़ी संख्या में सिख बच्चों को अपने स्वयं के उचित स्कूल के अभाव में गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था।अपनी पसंद का एक स्कूल खोलने की तत्काल आवश्यकता सामने आई

और सिखों द्वारा एक मण्डली में सर्वसम्मति से बिना किसी समय की हानि के खालसा प्राथमिक विद्यालय शुरू करने का संकल्प लिया गया।सामाजिक और धार्मिक कार्यकर्ताओं ने इस उद्देश्य के लिए एक उपयुक्त भवन प्राप्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ी।गहन प्रयासों के बाद कलकत्ता के बकुल बेगल रोड पर स्थित 75 नंबर की इमारत को किराए पर लिया गया था।इस प्रकार, खालसा प्राथमिक विद्यालय का उद्घाटन 1 नवंबर, 1933 को पूर्वी रेलवे के प्रमुख सरदार बी. आर. सिंह द्वारा किया गया था।उन्होंने इस पवित्र अवसर पर स्कूल को एक सुंदर राशि दान की।बाबा हरनाम सिंह कनुका ने सिख समुदाय के इस उद्यम के साथ अपना बहुत कुछ झोंक दिया।"

बी.

सी.

14. पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव की ओर से 7 मई, 1982 को प्रत्यर्थी संख्या 4 को लिखे एक पत्र के माध्यम से, स्कूल की प्रबंधन समिति का एक विशेष गठन निम्नानुसार किया गया थाः

डी.

1. के प्रतिनिधिः-

ई.

(i) बड़ा सिख संगत

1(एक)

((ii) श्री गुरु सिंह सभा

1(एक)

(iii) गुरुद्वारा संत कुटिया

1(एक)

2. संरक्षक प्रतिनिधि (निर्वाचित होने के लिए)

एफ.

3. शिक्षण और गैर-शिक्षण के सदस्य

4(3+1)

कर्मचारी (संयुक्त रूप से चुने जाने वाले)

4. पी. आई. ई. (संशोधित नियमों के प्रावधानों के अनुसार)

1

5. संस्थान के प्रमुख (पदेन)

1

जी.

6. विभागीय नामांकित व्यक्ति

1

14

15. इस दस्तावेज़ को पढ़ने पर यह स्पष्ट है कि जहाँ नियम 6 में सिख समुदाय के केवल एक प्रतिनिधि को प्रबंधन बोर्ड में होने की आवश्यकता थी, वहाँ तीन प्रतिनिधि नियुक्त किए जाते हैं।समान रूप से,

एच.

जबकि नियम 6 के अनुसार निर्वाचित होने के लिए छह संरक्षक प्रतिनिधि होने चाहिए, इस पत्र में केवल चार के लिए प्रावधान किया गया है।इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता है कि इस पत्र की स्वीकृति से, प्रत्यर्थी संख्या 4 ने किसी भी तरह से, अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में माने जाने के अपने अधिकार को स्पष्ट रूप से माफ कर दिया है।इसके विपरीत, 19 अप्रैल, 1976 का आवेदन इसे एक अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में मान्यता देने के लिए था, और केवल इसलिए कि नियमों के नियम 8 (3) को कथित रूप से लागू किया गया था, इसका मतलब यह नहीं है कि स्कूल के भविष्य के प्रबंधन के लिए विशेष संविधान तैयार करते समय संस्थान के अल्पसंख्यक चरित्र को ध्यान में नहीं रखा गया था।तथ्यों पर, इसलिए, यह सराहना करना मुश्किल है कि कैसे प्रत्यर्थी संख्या 4 ने पश्चिम बंगाल राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक, अर्थात् सिखों द्वारा स्थापित एक भाषाई अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में माने जाने के अपने अधिकार को माफ कर दिया है।

बी.

सी.

16. इस मोड़ पर सबसे पहले भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 को निर्धारित करना महत्वपूर्ण है।अनुच्छेद 30 (1) में कहा गया हैः

"30. शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के लिए अल्पसंख्यकों का अधिकार -

डी.

(1) सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वे धर्म या भाषा पर आधारित हों, अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा।"

ई.

17. अनुच्छेद 30 (1) को लागू करने के ऐतिहासिक कारणों को शेलट, जे. और ग्रोवर, जे. के फैसले में कुछ विस्तार से बताया गया है।

केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) 4 एस. सी. सी. 225

निम्नलिखित हैः" 535-ए-यह याद किया जा सकता है कि अल्पसंख्यकों के संबंध में कैबिनेट मिशन ने 6 मई, 1946 को ब्रिटिश मंत्रिमंडल को अपनी रिपोर्ट में केवल तीन मुख्य समुदायों को मान्यता दी थी; सामान्य, मुसलमान और सिख।सामान्य समुदाय में वे सभी लोग शामिल थे जो गैर-मुसलमान या गैर-सिख थे।मिशन ने संविधान सभा द्वारा एक सलाहकार समिति के गठन की सिफारिश की थी जो नागरिकों, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों और बहिष्कृत क्षेत्रों के अधिकारों को तैयार करने के लिए थी।कैबिनेट मिशन के बयान में वास्तव में केवल दो मामलों के अधीन भारतीय लोगों को संप्रभुता सौंपने का प्रावधान किया गया था जो थेः(1) शक्ति के हस्तांतरण से उत्पन्न मामलों को शामिल करने के लिए महामहिम की सरकार के साथ एक संधि करने की इच्छा और (2) अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त प्रावधान।ए के अनुसार

एफ.

जी.

एच.

649

चंदन दास (मालाकार) बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और ओ. आर. एस. [आर. एफ. नरीमन, जे.] ए.

उपरोक्त और उद्देश्य प्रस्ताव के पैरा 5 और 6 के अनुसार संविधान सभा ने 24 जनवरी, 1947 को एक सलाहकार समिति का गठन किया।इस समिति में हिंदुओं के अलावा मुसलमान, दलित वर्ग या अनुसूचित जाति, सिख, ईसाई, पारसी, एंग्लो-इंडियन, आदिवासी और बहिष्कृत क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल होने थे।एक ऐतिहासिक तथ्य के रूप में यह कहना

सुरक्षित है कि 11 मई, 1949 को आयोजित एक बैठक में अनुसूचित जातियों के अलावा अन्य अल्पसंख्यकों के लिए सभी आरक्षणों को समाप्त करने के प्रस्ताव को सलाहकार समिति के सदस्यों के भारी बहुमत से पूरे दिल से समर्थन मिला।जहाँ तक अनुसूचित जातियों का संबंध है, यह महसूस किया गया कि उनकी विशिष्ट स्थिति के कारण उनके लिए दस साल की अवधि के लिए विशेष आरक्षण की आवश्यकता होगी।यह कहना गलत नहीं होगा कि अल्पसंख्यकों का अलग प्रतिनिधित्व, जो पिछले संविधानों की विशेषता थी और जिसने इतना सांप्रदायिक तनाव और संघर्ष देखा था, मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की गारंटी को ध्यान में रखते हुए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों के पक्ष में छोड़ दिया गया था, जिसे नए संविधान में शामिल करने का निर्णय लिया गया था।"

बी.

सी.

डी.

(जोर दिया गया) 18.खन्ना, जे. के निर्णय में इसे और स्पष्ट किया गया था।

अहमदाबाद में सेंट जेवियर्स कॉलेज सोसायटी बनाम गुजरात राज्य

ई.

(1975) 1 एस. सी. आर. 173 इस प्रकार हैः"इससे पहले कि हम अपने सामने पेश किए गए विवादों और संविधान के अनुच्छेद 30 के दायरे और दायरे से निपटें, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का उल्लेख करना उचित हो सकता है।भारत दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है।इस विशाल भूमि में रहने वाले लोग विभिन्न धर्मों को मानते हैं और विभिन्न भाषाएँ बोलते हैं।धर्म और भाषा की विविधता के बावजूद, राष्ट्र के ताने-बाने के माध्यम से एक बुनियादी जन्मजात एकता का स्वर्ण धागा चलता है।यह विभिन्न धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों का मिश्रण है।उनमें से प्रत्येक ने भारतीय राजनीति पर अपनी छाप छोड़ी है और भारत आज उन सभी के संश्लेषण का प्रतिनिधित्व करता है।ब्रिटिश शासन के अंतिम वर्ष सांप्रदायिक दंगों और मतभेदों से चिह्नित थे।अविश्वास की भावना भी थी और मुसलमानों के एक वर्ग द्वारा एक अलग मातृभूमि की मांग की गई थी।इसके परिणामस्वरूप अंततः देश का विभाजन हुआ।भारत में स्वतंत्रता की लड़ाई का नेतृत्व करने वालों ने हमेशा बहुत जोर दिया

एफ.

जी.

एच.

साम्प्रदायिक सौहार्द और समझौते पर।वे एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना चाहते थे जिसमें विभिन्न धर्मों के लोगों में समानता और गैर-भेदभाव की भावना होनी चाहिए।विभाजन से पहले अल्पसंख्यकों के वर्गों द्वारा सीटों के आरक्षण और अलग निर्वाचक मंडल की भी मांग की गई थी।जनसंख्या के विभिन्न वर्गों का एकीकरण और एकीकरण लाने के लिए, संविधान के निर्माताओं ने अलग-अलग निर्वाचक मंडल को समाप्त कर दिया और संयुक्त निर्वाचक मंडल की प्रणाली शुरू की, ताकि चुनाव में प्रत्येक उम्मीदवार को नागरिकों के सभी वर्गों का समर्थन लेना पड़े।अल्पसंख्यकों के लिए विशेष सुरक्षा की गारंटी दी गई थी और अल्पसंख्यकों में विश्वास और सुरक्षा की भावना पैदा करने के उद्देश्य से उन्हें मौलिक अधिकारों का हिस्सा बनाया गया था।वे प्रावधान अल्पसंख्यकों के लिए एक प्रकार का अधिकारों का चार्टर थे ताकि किसी को भी यह महसूस न हो कि आबादी के किसी भी वर्ग में प्रथम श्रेणी के नागरिक और अन्य दूसरे दर्जे के नागरिक शामिल हैं।परिणाम यह हुआ कि अल्पसंख्यकों ने सीटों के आरक्षण के अपने दावे को छोड़ दिया।

बी.

सी.

डी.

XXX XXX XXX

जहाँ तक उनके शैक्षणिक संस्थानों का संबंध है, अल्पसंख्यकों के अधिकारों के संरक्षण के मामले में संविधान में एक उदार, उदार और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण परिलक्षित होता है। अल्पसंख्यक भी उतने ही हैं जितने बहुसंख्यक हैं और दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करने के लिए रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए जिससे अल्पसंख्यकों को अपनापन, सुरक्षा की भावना, समानता की चेतना और इस जागरूकता से वंचित किया जा सके कि उनके धर्म, संस्कृति, भाषा और लिपि का संरक्षण के साथ-साथ उनके शैक्षणिक संस्थानों की सुरक्षा भी संविधान में निहित एक मौलिक अधिकार है।समान उदार, उदार और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण को अनुच्छेद 29 और 30 का अर्थ लगाने में अदालतों के साथ तौलना चाहिए जैसा कि उन अनुच्छेदों का मसौदा तैयार करने और उन्हें मौलिक अधिकारों का हिस्सा बनाने में संविधान निर्माताओं के विचार-विमर्श को चिह्नित करता है।जनसंख्या के वर्गों के बीच अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि वयस्कता की आयु से कम या अन्यथा किसी प्रकार की दुर्बलता से पीड़ित व्यक्तियों के बीच हितों की सुरक्षा।इसलिए संविधान और सभ्य राष्ट्रों द्वारा बनाए गए कानून, आम तौर पर ए

ई.

एफ.

जी.

एच.

651

चंदन दास (मालाकार) बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और ओ. आर. एस. [आर. एफ. नरीमन, जे.] ए.

उन हितों की सुरक्षा के लिए प्रावधान शामिल हैं।वास्तव में, इसे किसी राष्ट्र की सभ्यता और कैथोलिकता के स्तर का एक सूचकांक कहा जा सकता है कि उनके अल्पसंख्यक कितने सुरक्षित महसूस करते हैं और किसी भी भेदभाव या दमन के अधीन नहीं हैं।" (जोर दिया गया) 19.जे. कादरी के सहमति वाले फैसले में इसे दोहराया गया था।

बी.

टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य (2002) 8 एस. सी. सी. 481

इस प्रकार हैः"301. …संविधान के संस्थापक ऐतिहासिक या अन्य कारणों से जमीनी वास्तविकताओं और समाज के विभिन्न वर्गों में मौजूदा असमानताओं के प्रति सचेत थे और उन्होंने महिलाओं, बच्चों, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के नागरिकों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संबंध में संविधान में सुरक्षात्मक भेदभाव का प्रावधान किया, जिससे राज्य को आरक्षण के माध्यम से उनके लिए विशेष प्रावधान करने में सक्षम बनाया जा सके, जैसा कि अनुच्छेद 15 के खंड (3) और (4) और संविधान के अनुच्छेद 16 के खंड (4) और (4-ए) से स्पष्ट है।धार्मिक अल्पसंख्यकों की आशंकाओं और अलग निर्वाचन क्षेत्रों की उनकी मांग को अनुच्छेद 25,26 और 28 के तहत सभी नागरिकों के लिए अंतरात्मा की स्वतंत्रता और स्वतंत्र पेशे, धर्म का पालन और प्रचार प्रदान करके हल किया गया था, जो अल्पसंख्यकों के धार्मिक अधिकारों का समान रूप से ध्यान रखते हैं; विशेष प्रावधानों द्वारा एक अलग भाषा, लिपि या संस्कृति के संरक्षण के उनके अधिकार की अनुच्छेद 29 में मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी दी गई है; इसके अलावा, सभी अल्पसंख्यकों, चाहे वे धर्म या भाषा पर आधारित हों, को संविधान के अनुच्छेद 30 में निहित अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का एक अतिरिक्त मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है।अनुच्छेद 30 (1) के तहत अधिकार को संसद द्वारा अपनी घटक क्षमता में इतना पवित्र माना जाता है कि जब भूमि कानून-भूमि अधिग्रहण अधिनियम-के संचालन द्वारा किसी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के अधिग्रहण के लिए दिए गए मुआवजे के परिणामस्वरूप अनुच्छेद 30 के खंड (1) के तहत गारंटीकृत अधिकार को प्रतिबंधित या निरस्त करना था, तो इसे संविधान (44 वें) संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 30 में खंड (1-ए) जोड़ा गया था।इसमें प्रावधान है कि केंद्रीय विधान के मामले में संसद या राज्य विधान के मामले में राज्य विधानमंडल यह सुनिश्चित करने के लिए एक

विशिष्ट कानून बनाएगा कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को उनकी संपत्ति के अधिग्रहण के लिए देय राशि

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

652

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2019] 12 एस सी आर।

ऐसा न हो जो किसी भी तरह से उनके कामकाज को बाधित करे।इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने सोसाइटी ऑफ सेंट जोसेफ कॉलेज बनाम भारत संघ [(2002) 1 एस. सी. सी. 273] में अनुच्छेद 30 के खंड (1-ए) की व्याख्या करते हुए इस प्रकार टिप्पणी कीः(एस. सी. सी. पी. 278, पैरा 7) "7. स्पष्ट रूप से, संसद ने अपनी घटक क्षमता में आशंका व्यक्त की कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को उनकी संपत्ति का अधिग्रहण करने और बदले में उन्हें अपर्याप्त राशि का भुगतान करके उनकी गतिविधियों को बंद करने या कम करने के लिए मजबूर किया जा सकता है।इस तरह से अनुच्छेद 30 द्वारा प्रदत्त अधिकार के उल्लंघन को रोकने के लिए, संसद ने संविधान में सुरक्षा प्रावधान पेश किया, पहले अनुच्छेद 31 और फिर अनुच्छेद 30 में।"

बी.

सी.

20. सेंट जेवियर्स (ऊपर) में नौ न्यायाधीशों की पीठ, 7 के बहुमत सेः2, यह अभिनिर्धारित किया कि गुजरात विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1972 द्वारा संशोधित गुजरात विश्वविद्यालय अधिनियम, 1949 की धारा 33-ए (1) (बी) अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू नहीं होगी।उक्त अधिनियम की धारा 33-ए (1) (बी) निम्नलिखित रूप में निर्धारित की गई हैः

डी.

“33-ए. (1) गुजरात विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1972 (इसके बाद इस धारा में 'ऐसी शुरुआत' के रूप में संदर्भित) के प्रारंभ से पहले संबद्ध प्रत्येक कॉलेज (सरकारी कॉलेज या सरकार द्वारा बनाए गए कॉलेज के अलावा) -

ई.

XXX XXX XXX

(ख) कि महाविद्यालय के प्राचार्य और शिक्षण कर्मचारियों के सदस्यों की भर्ती के लिए महाविद्यालय की एक चयन समिति है जिसमें शामिल होंगे -

एफ.

(1) प्राचार्य की भर्ती के मामले में, कुलपति द्वारा नामित विश्वविद्यालय का एक प्रतिनिधि, और

(2) महाविद्यालय के शिक्षण कर्मचारी के सदस्य की भर्ती के मामले में, कुलपति द्वारा नामित विश्वविद्यालय का एक प्रतिनिधि और विभाग का प्रमुख, यदि कोई हो, जो ऐसे सदस्य द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय से संबंधित हो।”21. रे, सी. जे. ने उपरोक्त प्रावधान का समर्थन किया और कहा कि अनुच्छेद 30 के मौलिक अधिकार के मूल में प्रशासन का अधिकार है जिसमें अल्पसंख्यक संस्थानों का अपने शिक्षक चुनने का अधिकार शामिल है (पृष्ठ 194 और 196 देखें)।यह अभिनिर्धारित करने के बाद, विद्वान मुख्य न्यायाधीश ने हस्तक्षेप करने वालों के तर्क को इस प्रकार निर्धारित कियाः

जी.

एच.

653

चंदन दास (मालाकार) बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और ओ. आर. एस. [आर. एफ. नरीमन, जे.] ए.

ए.

“अधिनियम की धारा 33-ए (1) (बी) में निहित प्रावधानों को याचिकाकर्ताओं द्वारा चुनौती नहीं दी गई थी।हस्तक्षेप करने वालों ने उन प्रावधानों को चुनौती दी।इस न्यायालय की तय की गई प्रथा यह है कि एक हस्तक्षेपकर्ता को ऐसी दलीलें नहीं उठानी चाहिए जिनका याचिकाकर्ताओं द्वारा आग्रह नहीं किया जाता है।इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अल्पसंख्यक संस्थानों को उपस्थित होने के लिए नोटिस दिए गए थे और उन संस्थानों ने उपस्थित होकर अपनी दलीलें दीं, अधिनियम की धारा 33-ए (1) (बी) पर विचार व्यक्त करने के लिए यहां विशेष विचार किया जाता है। अधिनियम की धारा 33-ए (1) (बी) में निहित प्रावधान यह है कि कॉलेज के प्राचार्य और शिक्षण कर्मचारियों के सदस्यों की भर्ती के

लिए कॉलेज की एक चयन समिति होती है, जिसमें कुलाधिपति द्वारा नामित विश्वविद्यालय का एक प्रतिनिधि और कॉलेज के शिक्षण कर्मचारियों के सदस्य की भर्ती के मामले में, कुलाधिपति द्वारा नामित विश्वविद्यालय का एक प्रतिनिधि और ऐसे व्यक्तियों द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषयों के लिए विभाग का प्रमुख, यदि कोई हो, शामिल होगा।इन प्रावधानों के संबंध में हस्तक्षेप करने वालों का तर्क है कि अधिनियम में इस बारे में कोई संकेत और मार्गदर्शन नहीं है कि किस प्रकार के व्यक्तियों को प्रतिनिधि के रूप में नामित किया जा सकता है।यह सुझाव दिया गया था कि ऐसे मामलों को पसंद के रूप में असीमित शक्ति पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए।इसलिए धारा 33-ए (1) (बी) में निहित प्रावधान अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू नहीं हो सकते हैं।"

बी.

सी.

डी.

ई.

इस तर्क को यह कहते हुए स्वीकार किया गया कि उक्त धारा को अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह अन्यथा अनुच्छेद 30 (1) में निहित मौलिक अधिकार का उल्लंघन करेगा।

22. इस विचार से खन्ना, जे. ने इस प्रकार सहमति व्यक्त की:"एक अन्य निष्कर्ष जो ऊपर चर्चा की गई है, वह यह है कि एक कानून जो अल्पसंख्यक के योग्य शिक्षकों की पसंद या शिक्षकों और संस्थान के कर्मचारियों के अन्य सदस्यों पर इसके अनुशासनात्मक नियंत्रण में हस्तक्षेप करता है, अनुच्छेद 30 (1) का उल्लंघन करने के रूप में अमान्य है।बेशक, राज्य और उसके शैक्षणिक प्राधिकरणों के लिए शिक्षकों की योग्यता निर्धारित करने की अनुमति है, लेकिन एक बार जब आवश्यक योग्यता रखने वाले शिक्षकों का चयन अल्पसंख्यकों द्वारा उनके शैक्षणिक संस्थानों के लिए किया जाता है, तो राज्य को उन शिक्षकों के चयन पर वीटो करने का कोई अधिकार नहीं होगा।एक शैक्षणिक संस्थान के लिए शिक्षकों का चयन और नियुक्ति आवश्यक है।

एफ.

जी.

एच.

किसी शैक्षणिक संस्थान और अल्पसंख्यकों के प्रबंधन के अधिकार के तत्वों को अनुच्छेद 30 (1) का उल्लंघन किए बिना चयन और नियुक्ति के ऐसे अधिकार से स्पष्ट रूप से वंचित नहीं किया जा सकता है।रेव. फादर डब्ल्यू. प्रोस्ट के मामले में इस न्यायालय ने बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 48-ए पर विचार करते हुए कहा कि उक्त प्रावधान ने कॉलेज के शासी निकाय की स्वायत्तता को पूरी तरह से छीन लिया और वस्तुतः कॉलेज का नियंत्रण विश्वविद्यालय सेवा आयोग को सौंप दिया।इसलिए उस मामले में याचिकाकर्ताओं को संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के संरक्षण का हकदार माना गया था।उस धारा के प्रावधानों का उल्लेख पहले किया जा चुका है।इस धारा के अनुसार, विश्वविद्यालय की नियुक्ति की मंजूरी के अधीन, राज्य सरकार से संबंधित नहीं होने वाले किसी संबद्ध कॉलेज के शिक्षकों की बर्खास्तगी, निष्कासन, सेवा समाप्ति या रैंक में कमी विश्वविद्यालय सेवा आयोग की सिफारिश पर कॉलेज के शासी निकाय द्वारा की जानी चाहिए।इस धारा में आगे यह प्रावधान किया गया कि उक्त आयोग से कॉलेज के शिक्षकों को प्रभावित करने वाले सभी अनुशासनात्मक मामलों में कॉलेज के शासी निकाय द्वारा परामर्श किया जाएगा और आयोग के निष्कर्षों के अनुरूप होने के अलावा कॉलेज के शिक्षक के खिलाफ कोई कार्रवाई या कोई सजा नहीं की जाएगी।"

बी.

सी.

डी.

इसी तरह, न्यायमूर्ति जगन मोहन रेड्डी ने भी धारा 33-ए (1) (बी) को अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू नहीं किया।मैथ्यू, जे. और जे. चंद्रचूड़ के सहमत निर्णय ने विद्वान मुख्य न्यायाधीश से सहमति व्यक्त की कि उपरोक्त प्रावधान संभवतः निम्नानुसार अल्पसंख्यक संस्थान पर लागू नहीं हो सकता हैः

ई.

"यह एक कॉलेज के प्राचार्य और शिक्षकों पर निर्भर करता है कि एक शैक्षणिक संस्थान का लहज़ा और स्वभाव क्या है।उन पर इसकी प्रतिष्ठा, अनुशासन का रखरखाव और शिक्षण में इसकी दक्षता निर्भर करेगी।प्रधानाचार्य चुनने और उनके दृष्टिकोण और दर्शन के समग्र मूल्यांकन के बाद प्रबंधन द्वारा नियुक्त शिक्षकों द्वारा शिक्षण का संचालन करने का अधिकार शायद एक शैक्षणिक संस्थान को प्रशासित करने के अधिकार का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है।हम कोई कारण नहीं समझ सकते हैं कि कुलपति द्वारा नामित विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि को प्राचार्य की भर्ती के लिए या विभाग के प्रमुख के आग्रह के लिए चयन समिति में होना चाहिए, इसके अलावा विश्वविद्यालय का प्रतिनिधि चयन ए पर होना चाहिए।

एफ.

जी.

एच.

655

चन्दना दास (मालाकार) बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और ओ. आर. एस. [आर. एफ. नरीमन, जे.] ए.

शिक्षण कर्मचारियों के सदस्यों की भर्ती के लिए समिति।जब तक चुने गए व्यक्तियों के पास विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित योग्यताएँ हैं, तब तक चुनाव प्रबंधन पर छोड़ दिया जाना चाहिए।यह अल्पसंख्यकों के अपने द्वारा साबित शैक्षणिक संस्थान का प्रशासन करने के मौलिक अधिकार का हिस्सा है।"

बी.

23. उपरोक्त निर्णय को पढ़ने से इस बात में कोई संदेह नहीं होगा कि यदि प्रत्यर्थी संख्या 4 एक अल्पसंख्यक संस्थान है, तो मान्यता प्राप्त गैर-सरकारी संस्थानों (सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त) 1969 के प्रबंधन के नियमों का नियम 28 संभवतः लागू नहीं हो सकता है क्योंकि प्रत्यर्थी संख्या 4 के अपनी पसंद के शिक्षकों के साथ संस्थान का प्रशासन करने के अधिकार का गंभीर उल्लंघन होगा।

सी.

24. अब हम इस सवाल पर जाते हैं कि क्या यह आवश्यक है कि पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 1963 के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा अल्पसंख्यक संस्थानों की स्थिति के बारे में घोषणा की जाए, इससे पहले कि वह अल्पसंख्यक संस्थान होने का दावा कर सके।हम पहले ही देख चुके हैं कि उपरोक्त अधिनियम द्वारा स्थापित सक्षम अधिकारी अल्पसंख्यक संस्थान को मान्यता देने की कोई शक्ति नहीं देते हैं।इसके अलावा, 19 अप्रैल, 1976 के पत्र से पता चलता है कि प्रत्यर्थी संख्या 4 को कोलकाता में रहने वाले सिख समुदाय द्वारा पंजाब से आए अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए एक प्राथमिक विद्यालय के रूप में शुरू किया गया था, ताकि वे अपनी मातृभाषा और धर्म, नैतिकता आदि सीख सकें। वास्तव में, मामले का यह पहलू अब एकीकृत नहीं है।

डी.

ई.

25. एन. अम्माद बनाम एमजय हाई स्कूल (1998) 6 एससीसी 674 में,

इस न्यायालय ने निर्णय दिया:"12. दोनों पक्षों के अधिवक्ता ने स्वीकार किया कि अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो सरकार को एक स्कूल को अल्पसंख्यक स्कूल घोषित करने

में सक्षम बनाता है।यदि ऐसा है, तो एक स्कूल जो अन्यथा एक अल्पसंख्यक स्कूल है, वह ऐसा ही बना रहेगा चाहे सरकार ने इसे ऐसा घोषित किया हो या नहीं।सरकार द्वारा की गई घोषणा केवल एक मौजूदा तथ्य की मान्यता है।संविधान का अनुच्छेद 30 (1) इस प्रकार हैः

एफ.

जी.

"30. (1) सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वे धर्म या भाषा पर आधारित हों, अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा।"

एच.

13. जब सरकार ने स्कूल को अल्पसंख्यक स्कूल घोषित किया तो उसने एक तथ्यात्मक स्थिति को मान्यता दी कि स्कूल की साबित अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा की गई थी और इसे प्रशासित किया जा रहा है।घोषणा केवल एक कानूनी चरित्र की खुली स्वीकृति है जो आवश्यक रूप से ऐसी घोषणा के पूर्व अस्तित्व में होनी चाहिए थी।इसलिए, हम इस तर्क से सहमत नहीं हैं कि सरकार द्वारा 2-8-1994 पर इसे अल्पसंख्यक स्कूल घोषित करने के बाद ही स्कूल सुरक्षा का दावा कर सकता है।" कानून के इस कथन के बाद कॉर्पोरेट द्वारा पालन किया गया था

बी.

एजुकेशनल एजेंसी बनाम जेम्स मैथ्यू (2017) 15 एससीसी 595

निम्नलिखित हैः"7. जहाँ तक अल्पसंख्यक दर्जे की घोषणा की वैधता का संबंध है, यह न्यायालय एन. अम्माद बनाम एमजय हाई स्कूल [एन. अम्माद बनाम एमजय हाई स्कूल, (1998) 6 एससीसी 674:1 एस. सी. ई. सी. 732] ने माना है कि अल्पसंख्यक दर्जे की घोषणा का प्रमाण पत्र केवल मौजूदा दर्जे की घोषणा है।इसलिए, केवल घोषणा की तारीख से स्थिति की उपलब्धता का कोई सवाल ही नहीं है।जो घोषित किया जाता है वह एक स्थिति है जो पहले से मौजूद थी।

सी.

डी.

XXX XXX XXX

10. अध्याय IV आयोग के कार्यों और शक्तियों से संबंधित है।धारा 11 (च) के तहत आयोग को अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के रूप में किसी भी संस्थान की स्थिति से संबंधित सभी प्रश्नों पर निर्णय लेने और उसकी स्थिति घोषित करने का अधिकार दिया गया है।अधिनियम की धारा 11 यहाँ उद्धृत की गई हैः

ई.

एफ.

“11. आयोग के कार्य।—तत्काल प्रभाव में किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, आयोग -

(क) अल्पसंख्यकों की शिक्षा से संबंधित किसी भी प्रश्न पर केंद्र सरकार या किसी भी राज्य सरकार को सलाह देना जो उसे भेजा जा सकता है;

जी.

(ख) शिक्षा की स्थापना और प्रशासन के लिए अल्पसंख्यकों के अधिकारों से वंचित या उल्लंघन के संबंध में शिकायतों में किसी भी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान, या उसकी ओर से किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत याचिका पर, स्वतः संज्ञान लेते हुए, पूछताछ करें।

एच.

अपनी पसंद के संस्थान और किसी विश्वविद्यालय से संबद्धता से संबंधित कोई भी विवाद और इसके कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त सरकार को अपने निष्कर्ष की रिपोर्ट करें;

(ग) ऐसे न्यायालय की अनुमति से न्यायालय के समक्ष अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों के किसी भी अभाव या उल्लंघन से जुड़ी किसी भी कार्यवाही में हस्तक्षेप करना;

बी.

(घ) अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए संविधान या तत्काल लागू किसी कानून द्वारा या उसके तहत प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों की समीक्षा करें और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश करें।

सी.

(ई) अल्पसंख्यकों द्वारा साबित उनकी पसंद के संस्थानों की अल्पसंख्यक स्थिति और चरित्र को बढ़ावा देने और संरक्षित करने के उपायों को निर्दिष्ट करें;

(च) अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के रूप में किसी भी संस्थान की स्थिति से संबंधित सभी प्रश्नों का निर्णय लें और इसकी स्थिति घोषित करें;

डी.

(छ) अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों से संबंधित कार्यक्रमों और योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त सरकार को सिफारिशें करना; और

(ज) आयोग के सभी या किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक, आनुषंगिक या अनुकूल अन्य कार्य और चीजें करें।"

ई.

(जोर दिया गया) 11।इसलिए, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग अधिनियम, 2004 के लागू होने के बाद, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान की स्थिति के संबंध में प्रमाण पत्र जारी करना भी राष्ट्रीय आयोग के अधिकार क्षेत्र और अधिदेश के भीतर है।एक बार जब आयोग इस प्रकार एक प्रमाण पत्र जारी करता है, तो यह एक मौजूदा स्थिति की घोषणा होती है।"

एफ.

जी.

26. हमने यह अभिनिर्धारित किया है कि यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रत्यर्थी संख्या 4, किसी भी तरह से, इस मामले के तथ्यों पर अपने अल्पसंख्यक दर्जे का दावा करने से वंचित है।इसके अलावा, यह तय किया स्थापित विधि है कि अनुच्छेद 30 के तहत मौलिक अधिकार को माफ नहीं किया जा सकता है (सेंट जेवियर्स (ऊपर देखें)

पृष्ठ 260 से 262 प्रति मैथ्यू, जे. ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे म्यूनिसिपल

निगम, (1985) 3 एस. सी. सी. 545 और 569 से 571।)हाल ही में

एच.

658 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2019] 12 एस. सी. आर.

के. एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ (2017) 10 एस. सी. सी. 1 में निर्णय,

जे. चंद्रचूड़ ने इस भावना को इस प्रकार व्यक्त किया है:"126. बेहराम खुर्शीद पेसिकाका बनाम बॉम्बे राज्य (1955) 1 एस. सी. आर. 13:आकाशवाणी 1955 एससी 123:1955 सी. आर. आई. एल. जे. 215, महाजन, सी. जे. ने संविधान पीठ की ओर से बोलते हुए, प्रस्तावना में निहित संवैधानिक दृष्टि और मौलिक अधिकारों की स्थिति के बीच के संबंध को इसकी पूर्ति को सुविधाजनक बनाने के साधन के रूप में नोट किया।भाग III के माध्यम से मौलिक

अधिकारों का प्रतीक है, इसे संस्थापक पिताओं के न्याय की दृष्टि को सुरक्षित करने की व्यापक धारणा का एक हिस्सा माना गया था और सिद्धांत के रूप में, गारंटीकृत अधिकारों को माफ करने में सक्षम नहीं माना गया था।महाजन सी. जे. ने कहा (ए. आई. आर. पी.146, पैरा 52:एस. सी. आर. पी. 653 -54)

बी.

सी.

"52. …हम समझते हैं कि मौलिक अधिकारों के रूप में वर्णित अधिकार प्रस्तावना में इस घोषणा का एक आवश्यक परिणाम हैं कि भारत के लोगों ने भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने और अपने सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और पूजा की स्वतंत्रता, स्थिति और अवसर की समानता सुनिश्चित करने का गंभीरता से संकल्प लिया है।

डी.

इन मौलिक अधिकारों को संविधान में केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं रखा गया है, हालांकि अंततः वे व्यक्तिगत अधिकारों पर विचार करने में लागू होते हैं।उन्हें सार्वजनिक नीति के मामले के रूप में रखा गया है और छूट का सिद्धांत उन कानून के प्रावधानों पर लागू नहीं हो सकता है जिन्हें संवैधानिक नीति के मामले के रूप में अधिनियमित किया गया है।

ई.

एफ.

27. यह इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून होने के कारण, यह स्पष्ट है कि इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार, जे. भानुमति द्वारा दिए गए दोनों कारणों को सही नहीं कहा जा सकता है।

28. राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री चक्रवर्ती ने अनुच्छेद 350 बी के आधार पर तर्क दिया। उक्त अनुच्छेद इस प्रकार हैः

जी.

" 350B. भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी

(1) भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रपति द्वारा एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया जाएगा।

एच.

चंदन दास (मालाकार) बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और ओ. आर. एस. [आर. एफ. नरीमन, जे.] ए.

ए.

(2) यह विशेष अधिकारी का कर्तव्य होगा कि वह इस संविधान के तहत भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच करे और उन मामलों पर राष्ट्रपति को ऐसे अंतराल पर रिपोर्ट करे जो राष्ट्रपति निर्देशित करे, और राष्ट्रपति ऐसी सभी रिपोर्टों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखेगा और संबंधित राज्यों की सरकारों को भेजेगा।"

बी.

29. यह अनुच्छेद केवल भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी की स्थापना करता है, जिसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, जिसका कर्तव्य भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित मामलों की जांच करना और भारत के राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजना है, जो रिपोर्ट करता है कि राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा, और संबंधित राज्यों की सरकारों को भेजा जाएगा।यहां तक कि इस अनुच्छेद को सरसरी रूप से पढ़ने से भी संभवतः यह निष्कर्ष नहीं निकल सकता है कि विशेष अधिकारी की रिपोर्ट के अभाव में कोई भी भाषाई अल्पसंख्यक संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के तहत संरक्षण का दावा नहीं कर सकता है।

सी.

डी.

30. वास्तव में, डी. ए. वी. कॉलेज बनाम पंजाब राज्य (1971)

सप.एस. सी. आर. 688, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जहां राज्य के कानून के लिए चुनौती है, भाषाई अल्पसंख्यक स्थिति को राज्यवार निर्धारित करना होगा (पृष्ठ 696 देखें)।टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन (ऊपर) में ग्यारह न्यायाधीशों की पीठ ने इस विचार को दोहराया है (पृष्ठ 552,553 और 587 देखें)।

ई.

31. इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि पश्चिम बंगाल राज्य में सिख अपनी भाषा पंजाबी की तुलना में भाषाई रूप से अल्पसंख्यक हैं, जबकि राज्य की बहुसंख्यक भाषा बंगाली है।राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का तर्क कि स्कूल वास्तव में हिंदी माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, न तो यहाँ है और न ही वहाँ है।महत्वपूर्ण बात यह है कि अनुच्छेद 30 के तहत मौलिक अधिकार एक भाषाई अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में स्कूल की "स्थापना" को संदर्भित करता है, जिसे हमने 19 अप्रैल, 1976 के पत्र के पैराग्राफ 5 (ए) और 5 (बी) को देखते हुए बहुत स्पष्ट रूप से देखा है।इसलिए, शिक्षा का माध्यम, चाहे वह हिंदी, अंग्रेजी,

बंगाली या कोई अन्य भाषा हो, यह पता लगाना पूरी तरह से अप्रासंगिक होगा कि क्या उक्त विद्यालय की स्थापना एक भाषाई अल्पसंख्यक द्वारा अपने समुदाय के सदस्यों को शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी।इसलिए इस तर्क को भी खारिज किया जाना चाहिए।

एफ.

जी.

एच.

32. दीवार पर लिखी इबारत को देखकर राज्य की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने एक जोरदार याचिका दायर की कि हमें शिरोमणि के आदेश का पालन करते हुए इस मामले को संविधान पीठ को भेजना चाहिए।

गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (ऊपर) दिनांक 18 नवंबर,

2010.

33. यह मामला पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 17 दिसंबर, 2007 के एक फैसले से उत्पन्न हुआ, जिसके अनुसार पंजाब निजी स्वास्थ्य विज्ञान शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश का विनियमन, शुल्क निर्धारण और आरक्षण) अधिनियम, 2006 के तहत दो अधिसूचनाएं जारी की गईं, जिसके द्वारा उपरोक्त सिख संस्थानों को पंजाब राज्य के भीतर अल्पसंख्यक संस्थान घोषित किया गया था।उच्च न्यायालय ने बाल पाटिल बनाम भारत संघ (2005) 6 एस. सी. सी. 690 मामले में इस न्यायालय के फैसले के बाद कहा था कि सिख वास्तव में पंजाब राज्य में जनसंख्या के हिसाब से बहुसंख्यक समुदाय थे, जिसके परिणामस्वरूप दोनों अधिसूचनाओं को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने के रूप में रद्द कर दिया गया था।यह इस पृष्ठभूमि में है कि 18 नवंबर, 2010 के एक आदेश द्वारा, इस न्यायालय की एक खंड पीठ ने इस मामले को अन्य मामलों के साथ एक संविधान पीठ द्वारा सुनवाई के लिए भेजा।दूसरा मामला ब्रह्म समाज से संबंधित था।

बी.

सी.

डी.

एजुकेशन सोसाइटी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, (2004) 6 एससी 224, में

जिसे एक समीक्षा याचिका की अनुमति दी गई थी और संविधान पीठ द्वारा सुनवाई करने का निर्देश दिया गया था।उपरोक्त मामले में, जो चुनौती उठाई गई थी, वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) पर आधारित थी और भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 से सीधे संबंधित नहीं थी।जाहिर है, यह संदर्भ आदेश अलग-अलग तथ्यों पर है और वर्तमान मामले में प्रत्यर्थी राज्य का लाभ नहीं उठाएगा।

ई.

34. नतीजतन, हमारा विचार है कि ठाकुर, जे. का निर्णय कानूनी रूप से सही है।नतीजतन, कलकत्ता उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश का निर्णय और आदेश सही है, और कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंड पीठ के फैसले को दरकिनार कर दिया जाता है। तदनुसार, लागत के संबंध में बिना किसी आदेश के अपीलों की अनुमति दी जाती है।

एफ.

जी.

कल्पना के. त्रिपाठी

अपीलों की अनुमति दी गई।

एच.